

प्रारूप-स

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना आयोग द्वारा नोक प्राधिकरणों में नामित सूचना अधिकारियों पर आरोपित अर्धदण्ड का विवरण

माह का नाम- अगस्त, 2022

क्र० सं०	विभाग का नाम	जन-सूचना अधिकारी का विवरण जिसके विरुद्ध दण्ड पारित किया गया	दण्ड पारित करने का दिनांक	दण्ड से निहित धनराशि	पारित दण्ड के विरुद्ध विभाग द्वारा बसुन की गयी धनराशि की अद्यतन स्थिति	विभाग द्वारा जन-सूचना अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की स्थिति (यदि कोई हो)	पारित दण्ड के बारे में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही	अव्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	राज्य कर विभाग, मुरादाबाद जेन. मुरादाबाद	श्री रमा शंकर, उपयुक्त राज्य कर	11-07-2018	रु० 5,000/-	शून्य	शून्य	<p>श्री सर्वश्रीर सिंह द्वारा मांगी गयी जनसूचना के सम्बन्ध में माननीय राज्य सूचना आयोग महानगर ने आदेश दिनांक - 11.07.2018 द्वारा तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) बाणिय कर, मुरादाबाद पर जारी की सूचना उपलब्ध न करने के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति रु०- 5000.00 का अर्धदण्ड दिनांक 11-07-2018 को डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) बाणिय कर मुरादाबाद पर लगाया गया है, जिसके सम्बन्ध में तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर के वेतन से उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि रुपये 5000-00 की कटौती हेतु डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) बाणिय कर इटावा को डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) बाणिय कर मुरादाबाद के पत्र संख्या- 2905 दिनांक 13-03-2020 द्वारा क्षतिपूर्ति की धनराशि के जमा के साक्ष्य उपलब्ध करने का अनुरोध किया गया है। सूचना प्राप्त न होने की दशा में डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) बाणिय कर मुरादाबाद के पत्र संख्या- 1931 दिनांक 01-02-2021 द्वारा डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) बाणिय कर इटावा को अनुस्मार प्रेषित कर दिया गया है, जिसके क्रम में डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) बाणिय कर इटावा द्वारा तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) बाणिय कर मुरादाबाद को अपने पत्र संख्या- 305 दिनांक 18-02-2021 द्वारा उपरोक्त धनराशि जमा करने हेतु निर्दिष्ट किया गया है। अर्धदण्ड जमा न होने की दशा में डिप्टी कमिश्नर (प्रशा) बाणिय कर मुरादाबाद के पत्र सं० 458 दिनांक 28-06-2021 द्वारा तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर को अर्धदण्ड जमा करने की अपेक्षा की गयी है, जिसके क्रम में तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) बाणिय कर</p>	शून्य

						<p>मुरादाबाद वर्तमान डिप्टी कमिश्नर (वि०अनु०का०) वाणिज्य कर, इटावा द्वारा पत्र संख्या 458 दिनांक 28.8.2021 प्रेषित करते हुये अवगत कराया गया है कि मा० आयोग द्वारा उक्त वाद में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 03.08.2021 के उपरान्त आरोपित अर्घदण्ड रुपये 5000.00 की वसूली समाप्त करते हुये वाद निस्तारित कर दिया गया है। किन्तु इस संबंध में स्पष्ट आदेश के अभाव में क्षतिपूर्ति शुल्क 5000.00 जमा करने हेतु पुनः पत्र संख्या 1688 दिनांक 27.12.2021 तथा पुनः पत्र संख्या 337 दिनांक 31-05-22 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। जमा का प्रमाण- पत्र होते ही साक्ष्य महोदय की सेवा में प्रेषित कर दिया जायेगा।</p>		
02	राज्य कर विभाग, मुरादाबाद जोन, मुरादाबाद	श्री विवेक रमन, सहा० आयु०का० एवं जनसूचना अधिकारी खण्ड-1 बिजनौर	19-06-2018	₹ 25000.00	<p>अधिरोधित अर्घदण्ड जमा कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को इस स्तर से पत्र संख्या- 800 दिनांक 07-03-2020 प्रेषित किया गया था। जिसके सम्बन्ध में दूरभाषा पर प्राप्त जानकारी के अनुसार सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मा० आयोग के समक्ष प्रतिवेदन किया गया है। जिसकी सूचना जिलाधिकारी, बिजनौर की सेवा में भी प्रेषित की गयी है।</p>	शून्य	<p>अधिरोधित अर्घदण्ड के सम्बन्ध में माननीय जिलाधिकारी बिजनौर के पत्र संख्या- 114 दिनांक 06-02-2020 जो इस कार्यालय को दिनांक 15-02-2020 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा जानकारी मिली है। सम्बन्धित अधिकारी द्वारा माननीय सूचना आयुक्त के समक्ष प्रत्यावेदन इस कार्यालय के अनुस्मारक पत्र संख्या- 477 दिनांक 30-01-2021 के क्रम में प्रेषित किया गया है। पुनः पुनर्विचार प्रार्थना कार्यालय पत्र सं० 214 दिनांक 19-02-2021 को प्रेषित किये जाने की सूचना असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर एवं जनसूचना अधिकारी खण्ड-1 बिजनौर के पत्र सं० 50 दिनांक 01-07-2021 को प्रेषित की गयी है।</p>	शून्य

03	राज्य कर	श्री दिव्यामूर्ति, कार्यालय राज्य कर अधिकारी खण्ड-1, बिजनौर	16.07.2018	25000.00	अधिरूपित अर्थदण्ड जमा कराये जाने हेतु संबंधित खण्ड के डि०कमि० को इस स्तर से पत्र सं०-769 दि० 28.02.2020, पुनः प०सं०- 816 दि० 18-03-2020 प्रेषित किये गये है।	शून्य	अधिरूपित अर्थदण्ड के संबंध में मा० जिलाधिकारी बिजनौर के पत्र संख्या-220 दिनांक 24.02.2020 जो इस कार्यालय को दिनांक 25.02.2020 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा जानकारी मिली है। अर्थदण्ड समाप्ति हेतु इस स्तर से मा० सूचना आयुक्त के समक्ष प्रत्यावेदन पत्र संख्या-589 दिनांक 25.02.2021 से किया गया है। पुनः असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर एवं जनसूचना अधिकारी खण्ड-1, बिजनौर के पत्र सं०- 147 दिनांक 25.06.2021 द्वारा प्रत्यावेदन अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया गया है।	शून्य
04	राज्य कर	श्री राजेश कुमार, डिप्टी कमिश्नर(क०व०)/ अधिकारी, वा०क० गाजियाबाद	15.11.2017	25000.00	00	कोई नहीं	पुनर्वाचिका प्रा०पत्र मा० 30प्र०राज्य सूचना आयोग के समक्ष दिनांक 01.11.2018 में दाखिल किया गया है। आदेश निर्गत होने तक दण्ड की वसूली की कार्यवाही स्थगित की गयी है।	मा० 30प्र० राज्य सूचना आयोग के समक्ष पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पर अन्तिम निर्णय/आदेश निर्गत होने तक दण्ड की वसूली की कार्यवाही स्थगित की गयी है।
05	राज्य कर	श्री जे०पी०सिंह, से०नि० डिप्टी कमिश्नर (प्रशा०) / तत्कालीन जनसूचना अधिकारी, वा०क० गाजियाबाद	27.01.2016	25000.00	00	कोई नहीं	मा० 30प्र० राज्य सूचना आयोग के समक्ष पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पर अन्तिम निर्णय/ आदेश निर्गत होने तक दण्ड की वसूली की कार्यवाही स्थगित की गयी है।	मा० 30प्र० राज्य सूचना आयोग के समक्ष पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पर अन्तिम निर्णय/ आदेश निर्गत होने तक दण्ड की कार्यवाही स्थगित की गयी है।
06	राज्य कर	श्री इन्द्रजीत भदौरिया, तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर (प्रशा०)/जनसूचना अधिकारी, वा०क० मेरठ	02.01.2018	25000.00	00	00	कार्यवाही चल रही है।	कार्यवाही चल रही है।
07	राज्य कर	श्री यू०सी०शर्मा, वर्तमान में ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स आडिट) वाणिज्य कर, मुरादाबाद	23.10.2018 (30प्र० सूचना आयोग का	25000.00	शून्य	नहीं	दण्ड में निहित धनराशि जमा कराये जाने हेतु आहरण वितरण अधिकारी, मुरादाबाद को पत्र संख्या- 4407 दिनांक 01.01.2019 व अनुस्मारक पत्र	दण्ड प्राप्त अधिकारी द्वारा दिनांक 01.02.2019 में अपील दायर की गयी है।

			पत्रांक- 10979 दि0 11.12.2018 से प्राप्त)				संख्या-6135 दिनांक 06.03.19 व पत्र संख्या- 125 दिनांक 24.04.19 व पत्र संख्या- 702 दिनांक 25.06.19, पत्रसं0- 2868 दि0 29.11.2019 प्रेषित किये गये है।	
08	राज्य कर	श्रीमती सरिता सिंह, तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/डि0कमि0 (प्रशा0) वा0क0 झांसी	22.11.2012	25000.00	00	00	श्रीमती सरिता सिंह, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग- वांदा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/ डिप्टी कमिश्नर (प्रशा0) वाणिज्य कर, झांसी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 975 दिनांक 23.11.2019 से अवगत कराया गया है कि उनके प्रत्यावेदनपर मा0 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त , उ0प्र0 लखनऊ द्वारा भी सुनवाई को कोई तिथि नियत नहीं की गई है।	श्रीमती सरिता सिंह, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग- वांदा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/ डिप्टी कमिश्नर (प्रशा0) वाणिज्य कर, झांसी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 975 दिनांक 23.11.2019 से अवगत कराया गया है कि शिकायत अपील सं0-1/2482/सी0/2011 के मामले में आदेश दिनांक 22.11.2012 के विरुद्ध मेरे द्वारा मा0 राज्य सूचना आयुक्त उ0प्र0 लखनऊ के समक्ष अपील क्रमांक-104002 दिनांक 20.03.2018 दायर की गयी है जो वर्तमान में लम्बित है।

(कमलेश कुमारी)

उपायुक्त (जनसूचना)/सहायक जनसूचना अधिकारी
राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।